

(1) पंजीयक,
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर।
(4) समस्त संयुक्त
निदेशक, (स्कूल शिक्षा),
समस्त संभाग।

(2) वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.)
NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर।
(5) समस्त
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

(3) निदेशक,
आर.एस.सी.ई.आर.टी.,
उदयपुर।
(6) समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट)।

विषय :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8) परीक्षा, 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा, 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी करने बाबत।
प्रसंग :- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का पत्रांक : शिविरा-मा./माध्य./निप्र/22418/शिविरा पंचांग/2026-27-45292 पार्ट फाईल - 1 (राज काज.रेफ.नं.-18962189) दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर दिनांक : 21.11.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक - समसंख्यक पत्रांक (राजकाज क्रमांक - 19444943) दिनांक - 17.12.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक दिशा निर्देशों की निरंतरता में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8) परीक्षा, 2026 (सामान्य विद्यालय एवं मूक बधिर विद्यालय) एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा, 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाता है। परीक्षा कार्यक्रम संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित समस्त इन परीक्षाओं के क्रम में आवश्यक कार्यवाही/व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार (परीक्षा कार्यक्रम) कक्षा-5 व कक्षा-8।

(सीताराम जाट)
I.A.S.

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : यथा ई हस्ताक्षर

क्रमांक : शिविरा/प्राशि./पंविप/5वीं-8वीं/दिशा-निर्देश/2025-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर



कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8), 2026

—: परीक्षा कार्यक्रम :—

समय :— अपराह्न 1:30 बजे से 4:00 बजे तक

दिनांक	वार	विषय
19 फरवरी 2026	गुरुवार	अंग्रेजी (02)
20 फरवरी 2026	शुक्रवार	अंतराल
21 फरवरी 2026	शनिवार	हिन्दी (01)
22 फरवरी 2026	रविवार	रविवार अवकाश
23 फरवरी 2026	सोमवार	विज्ञान (07)
24 फरवरी 2026	मंगलवार	अंतराल
25 फरवरी 2026	बुधवार	सामाजिक विज्ञान (08)
26 फरवरी 2026	गुरुवार	अंतराल
27 फरवरी 2026	शुक्रवार	गणित (09)
28 फरवरी 2026	शनिवार	अंतराल
01 मार्च 2026	रविवार	रविवार अवकाश
02 मार्च 2026	सोमवार	होलिका दहन अवकाश
03 मार्च 2026	मंगलवार	धूलण्डी (होली) अवकाश
04 मार्च 2026	बुधवार	तृतीय भाषा संस्कृत (71) / उर्दू (72) / गुजराती (73) / सिन्धी (74) / पंजाबी (75) / संस्कृतम् (95) (संस्कृत शिक्षा विभाग)

नोट:

- उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
- परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
- दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia), सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), पोलियो (Polio), लकवा/जन्मजात दिव्यांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 50 मिनट्स का अतिरिक्त समय देय होगा तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर श्रुतलेखक देय होगा।
- अधिगम अल्प क्षमता विद्यार्थियों के लिए Mild Cases में 50 मिनट्स अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
- परीक्षा भवन में विभाग द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात, कदाचरण की श्रेणी में माना जाएगा।
- प्रश्नपत्र/बुकलेट पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना नामांक (रोल नम्बर) लिखना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तरपुस्तिका/बुकलेट में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं ना लिखें।
- परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाना निषिद्ध है।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8), मूक बधिर (CWSN), 2026

—: परीक्षा कार्यक्रम :-

समय :- अपराह्न 1:30 बजे से 4:50 बजे तक

19 फरवरी 2026	गुरुवार	अंग्रेजी (122)
20 फरवरी 2026	शुक्रवार	अंतराल
21 फरवरी 2026	शनिवार	हिन्दी (121)
22 फरवरी 2026	रविवार	रविवार अवकाश
23 फरवरी 2026	सोमवार	विज्ञान (123)
24 फरवरी 2026	मंगलवार	अंतराल
25 फरवरी 2026	बुधवार	सामाजिक विज्ञान (124)
26 फरवरी 2026	गुरुवार	अंतराल
27 फरवरी 2026	शुक्रवार	गणित (125)

नोट:

1. उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia), सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), पोलियो (Polio), लकवा/जन्मजात दिव्यांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 50 मिनट्स का अतिरिक्त समय देय होगा तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अल्प क्षमता विद्यार्थियों के लिए Mild Cases में 50 मिनट्स अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. परीक्षा भवन में विभाग द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात, कदाचरण की श्रेणी में माना जाएगा।
6. प्रश्नपत्र/बुकलेट पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना नामांक (रोल नम्बर) लिखना अनिवार्य है।
7. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तरपुस्तिका/बुकलेट में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं ना लिखें।
8. परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाना निषिद्ध है।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर